राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि/18–19/190181-213 जयपुर, दिनांक 26-10-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
(समस्त)

विषय– माह सितम्बर, 18 तक का मासिक व्यय विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक 73294–630/1.5.18 एवं 125672–704/6.7.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मासिक व्यय विवरण को संकलित कर आगामी माह की 5 तारीख तक संबंधित लेखाकर्मी/मासिक व्यय विवरण तैयार करने वाले कार्मिक के साथ निदेशालय को व्यक्तिशः प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है परन्तु इसके उपरान्त भी आज दिनांक तक अलवर, बांरा, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, करौली, पाली, राजसमंद एवं सीकर का प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त उपनिदेशको को निर्देशित किया जाता है कि माह सितम्बर,18 तक का मासिक व्यय विवरण एवं भुगतान स्थिति का विवरण लेखाकर्मी/मासिक व्यय तैयार करने वाले कार्मिक के साथ अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवायें। इसके अभाव में महालेखाकार कार्यालय से लेखों का अंकमिलान सम्भव नहीं हो रहा है। जिस अनुपात में बजट आवंटन किया गया है, व्यय भी उस अनुपात में ही किया जाकर, व्यय विवरण में दर्शाया जावें। यदि व्यय सही अनुपात में नहीं किया गया है तो उस लेखाशीर्ष में निर्धारित अनुपात के अनुसार स्थानान्तरण प्रविष्ठि प्रस्तुत की जावे जिससे यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान कर समायोजन कराया जा सके।

साथ ही भविष्य में मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवावें अन्यथा की स्थिति में आपकी एवं संबंधित लेखा कार्मिक/लेखा कार्य करने वाले कार्मिक की जिम्मेदारी होगी।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि/18–19 190214-515 जयपुर, दिनांक 26-10-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)

वित्तीय सलाहकार